भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3804

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अतिरिक्त पदों का सृजन

3804. श्री बंटी विवेक साहू:

सुश्री बाँसुरी स्वराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सहायक महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और कार्यकारी निदेशक के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बेहतर कामकाज में किस प्रकार मदद मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बेहतर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ङ) इन पदों को भरने के लिए विचाराधीन भर्ती योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(**क**) **से** (**ङ**): सरकार ने अक्टूबर 2024 में पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों (एनबी), (अर्थात) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और यूको बैंक में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) स्तर के पद की शुरुआत को अनुमोदित कर दिया है। उक्त पद सरकारी क्षेत्र के शेष बैंकों में पहले से ही उपलब्ध है|

सरकार ने दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, सम्मिश्र कारोबार के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में वरिष्ठ स्तर के पदों यानी सीजीएम/महाप्रबंधक (जीएम)/उप महाप्रबंधक (डीजीएम) और सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) की संख्या गणना पद्धति में भी संशोधन किया है।

तदनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों में संशोधित कार्यप्रणाली अपनाने के बाद वरिष्ठ स्तर के पदों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

बैंक का नाम	**सीजीएम**	**जीएम**	**डीजीएम**	**एजीएम**
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4	16	48	144
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8	32	96	288
यूको बैंक	8	32	96	288
इंडियन ओवरसीज बैंक	8	32	96	288
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8	32	96	288
बैंक ऑफ इंडिया	12	48	144	432
इंडियन बैंक	11	44	132	396
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	20	80	240	720
केनरा बैंक	21	84	252	756
पंजाब नैशनल बैंक	22	88	264	792
बैंक ऑफ बड़ौदा	22	88	264	792

अधिकारियों की संख्या में संशोधन के कारण सृजित अतिरिक्त रिक्तियों को दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी बनाया गया था और बैंकों को उचित संवर्ग प्रबंधन के लिए तीन वर्षों में इसे क्रमबद्ध तरीके से (संभव सीमा तक समान वितरण) जारी करने की सलाह दी गई है।

ऐसे पदों में वृद्धि से बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के रूप में उन्नत प्रशासनिक संरचना उपलब्ध होगी और इसके परिणामस्वरूप आस्ति प्रबंधन और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। यह महत्वपूर्ण स्थितियों की बेहतर निगरानी करने के लिए बैंकों की क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे अधिक लक्षित रणनीतियां बनेंगी और समग्र प्रदर्शन में सुधार होगा।

*****